भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4134

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>पश्चिमी देशों के साथ वेतन की तुलना</u>

4134. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों का वेतन लगभग पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के वेतन के समान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा वेतन पश्चिमी देशों में भुगतान किए जा रहे वेतन के समान नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): किसी पब्लिक कंपनी द्वारा अपने प्रबंधकीय कार्मिकों को देय कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची-V के साथ पठित धारा 197 से धारा 200 तक और इनके तहत बने नियमों द्वारा विनियमित की जाती है। समस्त प्रबंधकीय पारिश्रमिक उस वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निवल लाभों के 11% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि कंपनी किसी सामान्य बैठक में, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उपरोक्त सीमा से अधिक पारिश्रमिक के भुगतान को प्राधिकृत नहीं करती है। अन्य कार्मिकों के वेतन इस अधिनियम के अंतर्गत विनियमित नहीं किए जाते हैं। मंत्रालय किसी भी स्तर पर कंपनियों के कार्मिकों के वेतन के विवरण का रख-रखाव नहीं करता है।

*****